

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 381/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.10.2026

थाना- सरायमीर, जनपद- आजमगढ़

अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग के जरिए टेलीकॉम राजस्व में धोखाधड़ी करने वाले 02 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 03 सिम कार्ड व 4690 रुपये बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस एवं साइबर सेल आजमगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 02.10.2026 को संजरपुर क्षेत्र से 02 अभियुक्तों को 16 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप, 03 अदद खुले सिम कार्ड एवं 4690 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.10.2026 को थाना सरायमीर पुलिस एवं साइबर सेल आजमगढ़ की संयुक्त टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थी। इसी दौरान संजरपुर बाजार से करीब 200 मीटर आगे पोखरे के पास दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा दोनों को पकड़कर नाम-पता पूछते हुए तलाशी ली गई, जिसमें उनके कब्जे से 16 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप, 03 अदद खुले सिम कार्ड एवं कुल 4690 रुपये नगद बरामद हुए। पूछताछ में दोनों द्वारा अपने साथी जीशान के साथ मिलकर *International Premium Rate Numbers (IPRN)* पर इंटरनेट कॉलिंग (VoIP) के माध्यम से कॉल कर टेलीकॉम राजस्व में अवैध रूप से हिस्सा प्राप्त करने की बात बताई गई। बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर दोनों अभियुक्तों को समय करीब 00:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद माल को नियमानुसार कब्जे में लेकर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 247/2026, धारा 318(4)/319/111/317(2) बीएनएस एवं 66C/66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अपने साथी जीशान पुत्र मोबीन निवासी महाजनी टोला, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर *International Premium Rate Numbers (IPRN)* पर इंटरनेट कॉलिंग (VoIP) एवं अन्य माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय कॉल करते/करवाते थे। इन कॉलों को विभिन्न टोल-फ्री नंबरों से कनेक्ट कर अधिक समय तक सक्रिय रखा जाता था, जिससे प्रति मिनट के आधार पर राजस्व उत्पन्न होता था तथा उसमें से अभियुक्तों को कमीशन प्राप्त होता था। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्हें व्हाट्सएप/टेलीग्राम के माध्यम से प्रीमियम नंबर एवं कॉल रूट उपलब्ध कराए जाते थे। बरामद मोबाइल फोन एवं लैपटॉप में *BESTIPRN.COM* एवं *ESSARTELECOM.NET* से संबंधित लॉगिन आईडी/पासवर्ड के माध्यम से कॉल रूटिंग एवं कॉल बाईपास किए जाने की जानकारी सामने आई है। अभियुक्तों द्वारा इस कार्य से प्राप्त धनराशि को आपस में बांटने तथा कई बार *USDT/क्रिप्टो करेंसी* के माध्यम से लेन-देन किए जाने की बात भी बताई गई है।

बरामदगी का विवरण-

1. 16 अदद मोबाइल फोन
2. 01 अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप
3. 03 अदद खुले सिम कार्ड
4. 4690 रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मो० ताबिश पुत्र जोरार अहमद, निवासी खुदादादपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष।
2. सलीम अहमद पुत्र जावेद अख्तर, निवासी खरेवां, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 247/2026, धारा 318(4)/319/111/317(2) बीएनएस एवं 66C/66D आईटी एक्ट, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० प्रशान्त सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. उ०नि० रविप्रकाश गौतम प्रभारी साइबर सेल, हे०का० ओमप्रकाश जायसवाल आजमगढ़

□ आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही से साइबर फ्रॉड के 42,280 रुपये पीड़ितों के खातों में वापस कराए गए।

□ थाना निजामाबाद पुलिस ने 30,000 रुपये एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस ने 12,280 रुपये कराए वापस।

□ साइबर फ्रॉड की सूचना पर तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना निजामाबाद एवं थाना गम्भीरपुर की साइबर टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड से पीड़ित दो व्यक्तियों की कुल 42,280 रुपये की धनराशि वापस कराई गई है।

थाना निजामाबाद-

दिनांक 16.04.2026 को आवेदक दानिश पुत्र मो० तौफिक, निवासी ग्राम फरिहा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के साथ साइबर फ्रॉड कर 30,000 रुपये की धनराशि ठगी गई थी। आवेदक द्वारा तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 33104260085536 दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की धनराशि को होल्ड कराया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना निजामाबाद राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए MRM पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01.10.2026 को 30,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

थाना गम्भीरपुर-

आवेदिका मनीषा यादव पत्नी राहुल यादव, निवासी ग्राम हरैया, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के खाते से फोन-पे के माध्यम से 22,500 रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया था। आवेदिका द्वारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 33102260033262 दर्ज कराई गई।

थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में साइबर टीम गम्भीरपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की धनराशि को होल्ड कराया गया। होल्ड धनराशि में से 12,280 रुपये MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के खाते में वापस कराए गए। शेष होल्ड धनराशि को रिलीज कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

साइबर टीम थाना निजामाबाद-

1. उ०नि० दिलीप आनन्द
2. का० राकेश यादव
3. का० संदेश सिंह
4. म०आ० रेनू देवी

साइबर टीम थाना गम्भीरपुर-

1. उ०नि० विपिन कुमार द्विवेदी
2. रि०म०का० आकांक्षा सिंह

आजमगढ़ पुलिस की अपील-

साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। समय से शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित धनराशि को होल्ड/फ्रीज कराने की कार्यवाही की जा सकती है।

□ ई-रिक्शा चालक व अन्य व्यक्ति के मोबाइल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 02 मोबाइल बरामद।

□ बकरी चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की बकरी, 4,000 रुपये नगद, ऑटो

रिक्शा तथा अवैध तमचा-कारतूस बरामद।

□ दोनों प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित।

थाना जीयनपुर:

दिनांक 01.10.2026 को रामधनी पुत्र स्व० खुरमुल्ली निवासी ग्राम खालिसपुर सिंघौटा, थाना जीयनपुर द्वारा ई-रिक्शा से मोबाइल चोरी होने के संबंध में थाना जीयनपुर पर मु०अ०सं० 0401/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक शम्भूनाथ यादव के नेतृत्व में उ०नि० श्यामजी यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त अनिल यादव पुत्र रामधारी यादव निवासी ग्राम नैथी बनमठिया, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 03.10.2026 को बेरमा जाने वाले खड्डजे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा एक मोबाइल ई-रिक्शा चालक की जेब से तथा दूसरा मोबाइल जीयनपुर चौक से चोरी करना बताया गया।

थाना सिधारी:

बकरी चोरी की घटनाओं के संबंध में थाना सिधारी पर मु०अ०सं० 404/2026 एवं 405/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किए

गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ०नि० रंजन कुमार साव, चौकी प्रभारी इटौरा, थाना सिधारी मय हमराह द्वारा अभियुक्त मो० दानिश खान पुत्र इसरार खान निवासी बासुपार बनकट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, हाल पता गुलामी का पुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष को दिनांक 02.10.2026 को समेदा तिराहे पर बंद राइसमिल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही से 01 अदद चोरी की बकरी, बकरी बेचने से प्राप्त 4,000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा, 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। प्रकरण में मु०अ०सं० 404/2026 व 405/2026 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अवैध तमंचा-कारतूस बरामद होने के संबंध में मु०अ०सं० 407/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त थाना जीयनपुर के मु०अ०सं० 398/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस से भी अभियुक्त का संबंध प्रकाश में आया है। दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

□ NCSAM के तहत पूर्वाचल पी०जी० कॉलेज रामसुन्दरपुर में साइबर जागरूकता अभियान, छात्र-छात्राओं एवं आमजन को साइबर ठगी से बचाव के प्रति किया जागरूक।

□ डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ऐप/लिंक, सोशल मीडिया फ्रॉड, म्यूल अकाउंट, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन लोन, KYC एवं निवेश/गेमिंग स्कैम समेत साइबर अपराधों से बचाव के बताए तरीके।

□ साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करने एवं www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की दी गई जानकारी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी अपराध कौस्तुभ त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 03.10.2026 को थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस द्वारा पूर्वाचल पी०जी० कॉलेज, रामसुन्दरपुर, रानी की सराय, आजमगढ़ में नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान लाउडहेलर एवं पम्पलेट के माध्यम से छात्र-छात्राओं एवं आमजन को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जी पुलिस/CBI/साइबर अधिकारी बनकर धन की मांग, फर्जी ऐप डाउनलोड कराने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक कराने, गिफ्ट/लॉटरी स्कैम, सोशल मीडिया फ्रॉड, म्यूल अकाउंट, फर्जी मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप हैकिंग, OLX/KYC फ्रॉड, ऑनलाइन लोन स्कैम, हनी ट्रैपिंग, ATM/इंटरनेट मीडिया फ्रॉड, निवेश/गेमिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी एवं मेट्रोमोनियल फ्रॉड आदि के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही Web Safety Tools, Secure Browser, Safe Browsing तथा Antivirus एवं Devices को Updated रखने के संबंध में आवश्यक सावधानियां बताई गईं।

सेक्सटॉर्शन/न्यूड कॉल ब्लैकमेलिंग से बचाव हेतु अजनबियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने, अनजान नंबर से वीडियो कॉल न उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया गया।

उपस्थित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी-

1. उ०नि० शिवकुमार उपाध्याय, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
2. का० सभाजीत मौर्य, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
3. का० विशाल यादव, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
4. का० रामाश्रय यादव, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
5. म०का० संज्ञा, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
6. म०का० हसीना खातून, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़